5/8/24 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान ए डीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 30/8/24 को पेश हो।

30/8/24 वकील प्रार्थी हाजिर नहीं। प्रार्थी का मूल वाद अंतर्गत धारा एवं अंतरिम लागत स्तर पर खारिज किया जा चुका है अतः पुनः पत्र 12 RSA आगे प्रचलित का कोई औचित्य नहीं। पत्र 12 RSA को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फाइल निर्णित होकर अभिलेख दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner